

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2936

दिनांक 12-04-2016

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, कैंसर पहाड़ी रोड, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

प्राचार्य, शिक्षक, क्रीडा अधिकारी एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्यपरिषद् द्वारा अनुशंसित नहीं है। स्टाफ का भुगतान बैंकों के माध्यम से नहीं किया गया है। परिचय 28 के 22(3) के तहत वेतन प्रदत्त नहीं किया जाता है। एल.एल.एम. पाठ्यक्रम पढने हेतु योग्य शैक्षणिक स्टाफ नहीं है। रिफरेन्स बुक एवं जर्नल्स की कमी है। कॉलेज काउंसिल का कार्य दिवस संलग्न नहीं है। शासी निकाय के दो कार्य विवरण बिना विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के संलग्न है।


नोट:- महाविद्यालय द्वारा कमियों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिए गए शपथ पत्र का परीक्षण सत्र 2016-17 की निरीक्षण समिति द्वारा किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, कैंसर पहाड़ी रोड, ग्वालियर।
2. सचिव, बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

